

CE/Verdy

Upload on the
website as per
the need
20-11-22



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

कक्षा 09 एवं 11 की परीक्षा, 2023 (सत्र 2022-24) के लिए पंजीयन-सह-परीक्षा आवेदन प्रपत्र तथा वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा, 2023 के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र जमा करने के संबंध में

विज्ञापित संख्या - 79/2022

विज्ञापित संख्या-65/2022, 66/2022, 67/2022, 68/2022 तथा 71/2022 के क्रम में एतद् द्वारा कक्षा 09 एवं 11 की परीक्षा, 2023 तथा वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा, 2023 में सम्मिलित होने वाले सभी छात्र/छात्राओं, उनके अभिभावकों, संबंधित विद्यालय/इंटर महाविद्यालय के प्रधानों तथा पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि कक्षा 09 एवं 11 की परीक्षा, 2023 के लिए पंजीयन-सह-परीक्षा आवेदन प्रपत्र, 2023 तथा वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा, 2023 के लिए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने की तिथि निम्नप्रकार विस्तारित की जाती है:-

● कक्षा 09 एवं 11 की परीक्षा, 2023 के लिए पंजीयन-सह-परीक्षा आवेदन प्रपत्र

शुल्क विवरणी	ऑनलाइन प्रपत्र भरने एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास Online submit करने की तिथि	जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र approve करने की तिथि	चालान जेनरेट करने की अंतिम तिथि	चालान के माध्यम से बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि
विलम्ब शुल्क रहित	10.12.2022 तक	12.12.2022 तक	13.12.2022	16.12.2022
विलम्ब शुल्क सहित	14.12.2022 से 20.12.2022 तक	14.12.2022 से 21.12.2022 तक	22.12.2022	23.12.2022

नोट: 13.12.2022 के बाद सभी चालान विलम्ब शुल्क के साथ जेनरेट होंगे।

● वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा, 2023 के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र

शुल्क विवरणी	ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने एवं चालान जेनरेट करने की तिथि	शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि
विलम्ब शुल्क रहित	10.12.2022 तक	16.12.2022 तक
विलम्ब शुल्क सहित	11.12.2022 से 20.12.2022 तक	23.12.2022 तक

नोट: 10.12.2022 के बाद सभी चालान विलम्ब शुल्क के साथ जेनरेट होंगे।

उपर्युक्त निर्धारित तिथि के बाद तिथि का विस्तारण नहीं किया जायेगा और न ही किसी भी अभ्यावेदन पर विचार किया जायेगा। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय पूरी सावधानी बरता जाय। यदि किसी प्रकार की त्रुटि (नाम, विषय, आदि) की जाती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी संबंधित संस्थान की होगी। इसके सुधार के संबंध में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

अध्यक्ष के आदेश से,
ड./- (बहीष कुमार सिंह)
सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/गौ./5831/22/SECY/896/22

On: 20.11.2022 D.O.B: 20.11.2022